* बाल श्रम एवं बाल तस्करी से मुक्त कराये गये बच्चे	1999
* गुमशुदा, अपहरण एवं उपेक्षित बच्चे	179
* बाल भिक्षावृति	145
* विद्यालय में मारपीट/भावनात्मक हिंसा/घरेलू हिंसा	556
* बालक एवं बालिकाओं के साथ लैंगिक हिंसा	137
* बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा	47
* बच्चों के द्वारा अपराध	13

इन सभी मामलों में स्नेह आंगन द्वारा बच्चों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं से जोड़ा गया है। बच्चों को उनके परिवार एवं गृह राज्य में पुर्नवासित कराने में भी जिला प्रशासन, जयपुर एवं बाल कल्याण समिति, जयपुर को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया गया है।

पूर्व में स्नेह आंगन के कार्यालय प्रांगण से ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित विशेष किशोर पुलिस ईकाई, जयपुर (पूर्व) तथा मानव तस्करी की रोकथाम हेतु मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जयपुर (पूर्व) कार्यरत थी।

स्नेह आंगन सभी सम्बन्धित विभागों / एजेन्सियों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। इस सेन्टर का कार्यालय समय प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक है।

यह सेन्टर बच्चों की आश्यकतानुसार किसी भी समय अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यालय
वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेंटर फॉर चिल्ड्रन
(स्नेह आंगन)
एवं
विशेष किशोर पुलिस इकाई, जयपुर पूर्व
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
महिला थाना परिसर, गांधी नगर, जयपुर
फोन : 0141-352799, 7878055137, 9460387130, 7568245423
E-mail : childrightsrajasthan@gmail.com

बाल कल्याण समिति, जयपुर

क्र.सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्रीमती शीला सैनी	अध्यक्ष	9602567649
2.	श्रीमती शांति भटनागर	सदस्य	9351317729
3.	श्री निजाम मोहम्मद	सदस्य	9982333121
4.	श्री रामनिवास सैनी	सदस्य	7014837897
5.	श्रीमती शिमला कुमावत	सदस्य	8209969092

कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण जिला, जयपुर

किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर-2

क्र.सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्रीमती मेघना व्यास	प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट	-
2.	श्रीमती रीटा विश्नोई	सदस्य	9784712573
3.	श्री प्रभुदयाल योगी	सदस्य	9829121618

कार्यक्षेत्र - पुलिस जिला जयपुर उत्तर एवं जयपुर ग्रामीण

किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर-2

क्र.सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्री अभिषेक कुमार	प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट	-
2.	श्रीमती दीपशिखा शर्मा	सदस्य	9468855700
3.	श्रीमती ज्योति शर्मा	सदस्य	8094948511

कार्यक्षेत्र - पुलिस जिला जयपुर उत्तर एवं जयपुर ग्रामीण

चाइल्ड लाइन - 1098/112

मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन निशुल्क टेलीफोन सेवा

पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व), यूनिसेफ-राजस्थान एवं रिर्सोस इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स जयपुर द्वारा बच्चों के हित में जारी।

स्नेह आंगन

वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेंटर फॉर चिल्ड्रन

विशेष किशोर पुलिस इकाई, जयपुर (पूर्व) एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जयपुर (पूर्व), जयपुर

परिचय

राज्य सरकार बच्चों के अधिकार, समुचित देखभाल एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान पुलिस बाल मैत्री पुलिस व्यवस्था के तहत भयमुक्त वातावरण में बच्चों के मुद्दों पर कार्यवाही कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये प्रयासरत है।

वर्तमान परिस्थितियों में कई कारणों से बच्चे पुलिस के संम्पर्क में आते हैं। ऐसे में पुलिस का बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना बेहद आवश्यक है। ऐसे बच्चों की कई प्रकार की जरूरतें होती हैं, जिनमें तात्कालिक देखभाल, संरक्षण, आश्रय, परामर्श एंव कानूनी मदद शामिल है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति समन्वित प्रयासों से एक जगह पर सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, इस प्रकार की सेवाएं ना केवल बच्चों के हित में है, बल्कि प्रभावी पुलिस कार्यवाही भी कम समय में सुनिश्चित की जा सकती है।

कार्यालय–पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व), यूनिसेफ, राजस्थान व उनके सहयोगी संस्था रिर्सोस इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स, जयपुर से तकनीकी सहयोग से 28 जून, 2014 को महिला पुलिस थाना (पूर्व), गांधी नगर, जयपुर में नवाचार के रूप में ''स्नेह–आंगन–वन स्टॉप क्राईसिस मेनेजमेंट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन'' स्थापित किया गया है।

स्नेह आंगन द्वारा पुलिस आयुक्तालय, जयपुर क्षेत्र में विभिन्न अपराधों के पीड़ित बच्चों (बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, लैंगिक हिंसा इत्यादि से पीड़ित बच्चे), विधि से संघर्षरत तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में पुलिस हेतु निर्धारित कार्यों के निरुपादन एवं पुलिस के सम्पर्क में आने बाले बच्चों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

उद्देश्य एवं कार्य

1. जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वन कॉन्टेक्ट पॉईन्ट के रूप में कार्य करना।
2. पुलिस के सम्पर्क में आने बाले बच्चों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना।
3. पुलिस के संपर्क में आने वाले प्रत्येक बच्चे को बाल मैत्री वातावरण उपलब्ध कराकर उसकी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चत करना।
4. बच्चों के मुद्दों पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का क्षमतावर्धन करना एवं उन्हें हैण्ड–होल्डिंग सहयोग उपलब्ध कराना।
5. विधि से संघर्षरत बच्चों को अपराध से विमुख करने तथा इनमें अपराध की प्रवृति को रोकने के लिए कार्य करना।
6. कठिन परिस्थितियों में मौजूद बच्चों को विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पहचान कर बाल संरक्षणात्मक वातावरण उपलब्ध करना।
7. विभिन्न अपराधों के पीड़ित बच्चों (बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, लैंगिक हिंसा इत्यादि से पीड़ित बच्चे), विधि से संघर्षरत बच्चे एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के विभिन्न मुद्दों पर कार्य करना।
8. बच्चों को तात्कालिक आश्रय, काउंसलिंग, विधिक सहायता, मुआवजा के अतिरिक्त अन्य तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना।
9. सभी सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना।

सेवाएं एवं भूमिका

1. बच्चों से जुड़े मामलों का केस प्रबन्धन पर आधारित तकनीक पर कार्य करना।
2. समस्त पुलिस थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों से जुड़े मुद्दों पर नियमानुसार कार्यवाही, बाल मैत्री प्रक्रिया की पालना एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।
3. बच्चों से जुड़े विभिन्न मामलों में विभिन्न विभागों/संस्थाओं से पत्राचार करना।
4. पुलिस के सम्पर्क में आने वाले बच्चों को सम्बन्धित बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहयोग करना।
5. बच्चों के प्रकरणों में परिवीक्षा सेवाएं, परामर्श, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएं प्रदान करने और पुलिस को बच्चे को पकड़े जाने के समय, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ–साथ जिन परिस्थितियों में बच्चे को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करने तथा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत किये जाने तक उसकी देखरेख करना।

6. बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उनके परिजन एवं सभी संबंधितों को बुलाने तथा उन्हें आवश्यक सलाह उपलब्ध कराना।
7. विभिन्न विद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर बच्चों के अधिकारों एवं पुलिस सहभागिता के बारे में चर्चा/कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित करना।
8. बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं बाल शोषण की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जाकर जागरुकता पैदा करना।
9. पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में आवश्यकतानुसार संबंधित थाने के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक पुलिस कार्यवाही सुनिश्चत करना।
10. बच्चें के साथ किसी प्रकार का अत्याचार/हिंसा की सूचना मिलने पर उसे मुक्त करवा कर बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करना।
11. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों उनके परिवारजन को मुफ्त कानूनी सहायता एवं मुआवजा उपलब्ध करवाना।
12. जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/मानव तस्करी विरोधी यूनिट इत्यादि एजेन्सियों तथा अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्य करना।
13. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/दिशा–निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में एजेन्सियों को सहयोग उपलब्ध करना।

स्नेह आंगन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रभावी प्रयास किये गये हैं, जिनमें पुलिस के अधिकारियों व थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का क्षमतावर्धन एवं शोषण की परिस्थितियों में कार्य कर रहे बच्चों को मुक्त कराना प्रमुख है।

स्नेह आंगन की स्थापना से 30 सितम्बर, 2023 तक की अवधि में बच्चों के 3086 मामले सामने आये हैं, जिनमें मानव तस्करी विरोधी इकाई, पुलिस, बाल कल्याण समिति व जिला प्रशासन के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। बच्चों के मामलों को सात विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–